

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635] No. 635] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 2014/फाल्गुन 21, 1935

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 2014/PHALGUNA 21, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2014

का.आ. 744 (अ).— यत: मै. क्रिस्टल सिटी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व में मै. उप्पल डेवलवर्स प्राइवेट लिमिटेड) जो हरियाणा राज्य में एक निजी संगठन है, ने ग्राम राठीवास, भुडका और भोडकलां जिला गुड़गाँव, हरियाणा राज्य में बहु-सेवा क्षेत्र हेतु एक विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यत:, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 31 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1387(अ), द्वारा 106.3101 हेक्टेयर क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था;

और, यत:, मै. क्रिस्टल सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन के सम्पूर्ण 106.3101 हेक्टेयर क्षेत्र को अनिधसूचित करने का प्रस्ताव किया है और हरियाणा सरकार ने उनके दिनांक 17-01-2014 के पत्र संख्या एसईजेड/लक्सर/जीजीएन/67 (डीआईएण्डसी) के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया है;

और यत: विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 106.3101 हेक्टेयर के समस्त क्षेत्र को अनिधसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तृति की है।

अत:, अब, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उन सभी बातों को छोड़कर जो उपरोक्त सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करती है ऐसे निरसन के पूर्व की गई हैं या किए जाने से निवारित की गई हैं।

> [फा. सं. एफ. 2/23/2006-एसईजेड] राजीव अरोडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2014

S.O. 744(E).—Whereas, M/s. Crystal City Developers Pvt. Ltd (Formerly M/s. Uppal Developers Private Limited), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Multi Services at Village Rathiwas, Bhudka & Bhodakalan, Distt. Gurgaon in the state of Haryana;

1116 GI/2014 (1)

And, Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 106.3101 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S. O. 1387 (E) dated 31st August, 2006;

And, Whereas, M/s. Crystal City Developers Pvt. Ltd has proposed to de-notify the entire area of 106.3101 hectares of the above Special Economic zone and the State Government of Haryana has given its "No Objection" to the proposal vide letter No. SEZ/Luxor/GGN/67(DI&C) dated 17.01.2014; .

And Whereas, the Development Commissioner, Noida Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 106.3101 hectares of the Special Economic Zone;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/23/2006-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.